POLITICAL SCIENCE Dep.
B.A. Part-I, Paper-II

Dr. HUSNA ARA
Asst. Professor
Dr. L.K.V.D. college,
Tajpur, Samastipur

कौटिल्य

भारतीय राजनीतिक चिंतन के इतिहास में आचार्य कौटिल्य का महत्वपूर्ण स्थान है। आचार्य कौटिल्य को कूटनीति एवं शासन कला का महान प्रतिपादक कहा जा सकता है जिन्होंने लोक प्रचलित शासन पद्धति के नियमों को मनन कर राजपद्धति का निर्माण किया। बहिर्मुखी व्यक्तित्व के धनी आचार्य कौटिल्य को कई नामों से जाना जाता है जैसे:- विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य। कौटिल्य मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासन चन्द्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। ऐसा माना जाता है कि अपने शिष्य चन्द्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर उनके माध्यम से नंद वंश का अंत कर मौर्य साम्राज्य का शिलान्यास किया।

कौटिल्य द्वारा रचित 'अर्थशास्त्र' एक महान रचना मानी जाती है। यह ग्रंथ प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र के विभिन्न आयामों पर लिखा गया है। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में अर्थ एवं अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि "मनुष्य की जीविका और जिस भूमि पर वे रहते हैं, वे दोनों ही अर्थ हैं। अतः वह शास्त्र अर्थशास्त्र है जिसमें मनुष्यों वाली भूमि के लाभ और उसका पालन करने के उपायों का वर्णन किया गया है।" इसप्रकार अर्थशास्त्र में शासन-

Scanned with CamScanner

व्यवस्था का पूर्ण विवेचन किया गया है।

अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण हैं जिनके अंतर्गत राज्यशास्त्र के व्यावहारिक पक्षों का विस्तृत विवेचन किया गया है। प्रारंभ में ही चार विधाओं का उल्लेख किया गया है जो इसप्रकार हैं — आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दण्डनीति। अर्थशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय दण्डनीति ही है जो शासनकला की व्याख्या करता है। अर्थशास्त्र के अन्य अधिकरणों में संधि, सैन्य संगठन, आक्रमण, युद्ध, दूतकर्म, करारोपण, स्थानीय प्रशासन से संबंधित बातों की विशद चर्चा की गई है।

डा॰ बेनी प्रसादने उक्त कारणों से ही लिखा है कि प्रशासनिक संगठन की योजना के रूप में, अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र की महत्त्वपूर्ण रचना है। यह नियमों के निर्धारण एवं विवेचन की दृष्टि से परिपूर्ण ग्रंथ है।

कौटिल्य के संविदा सिद्धांत में हाब्स के सिद्धांत से बहुत कुछ समानता होते हुए भी यह हाब्स के सिद्धांत से मूलतः भिन्न है तथा लाक एवं रूसो के विचारधारा से भी उसकी भिन्नता देखी जा सकती है। कौटिल्य के अनुसार प्राकृतिक अवस्था के मनुष्यों ने एक व्यक्ति को राजा इसलिए चुना कि वह धर्म, अर्थ तथा काम की प्राप्ति और उपभोग में उनकी सहायता करे। यदि राजा इन कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ रहता है तो प्रजा को अधिकार है कि उसे पदच्युत कर अन्य व्यक्ति को राजा नियुक्त कर दे।

Dr. Afsana Ara
Asst. Professor

Scanned with CamScanner